139

[2019] 5 एस. सी. आर. 139

/

बाज ऑटो लिमिटेड

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। (2019 की सिविल अपील No.3239) 27 मार्च, 2019

/

[एल**.** नागेश्वर राव और संजय किशन कौल**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन. सी. सी. डी.), शिक्षा उपन्यायालय और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपन्यायालय -अपीलार्थी-सीमित कंपनी की देयता को अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेनवैट) से छूट दी गई थी-अपीलार्थी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, शिक्षा उपन्यायालय और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपन्यायालय का भुगतान नहीं न्यायालय रहा था-संदर्भित तीन उपन्यायालय ों का भुगतान न्यायालय ने के लिए अपीलार्थी के दायित्व से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ-उपरोक्त तीन उपन्यायालय ों का भुगतान न्यायालय ने में अपीलार्थी की विफलता के कारण एक लेखा परीक्षा आपत्ति रिपोर्ट तैयार की गई थी-अपीलार्थी को एक कारण बताएँ नोटिस दिया गया था -शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का मुद्दा एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ये उपकर उत्पाद शुल्क के कुल मूल्य पर लगाया और एकत्र किया जाने वाला अधिभार है और स्वयं उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, इन उपकरों की किसी भी वसूली का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि आधार मौजूद नहीं है-इसलिए, अपीलकर्ता जो शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है-जहां तक एन. सी. सी. डी. का संबंध है, यह उत्पाद पर लगाया जाता है-हालांकि, यह उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है-इसे उन संबंधित करों के समान चरित्र वहन करना पड़ता है जिन पर अधिभार लगाया जाता है-एन. सी. सी. डी. एक उत्पाद शुल्क नहीं रहेगा।s.136-वित्त अधिनियम, 2004-ss.91 और 93-वित्त अधिनियम, 2007।136 और 138।

/

/

/

/

/

/

139 ए.

140 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 5 एस. सी. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब बाद के न्यायिक प्रावधानों के कारण एक संकीर्ण स्थिति में है।

एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में घोषणा **v.**के आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी।इस निर्णय को देखते हुए शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का मुद्दा विभाग के खिलाफ आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के समक्ष रखे गए लिखित सारांश को देखते हुए विभाग अब समझ गया है।उस मामले के तथ्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में उद्योगों के विकास के लिए एक पहल की गई थी। उन राज्यों के संबंध में वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना जारी की गई थी।**2004** और **2007** के वित्त अधिनियमों के अंतर्गत लागू शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी उसमें अपीलार्थी पर लगाए जाने की मांग की गई थी।इस न्यायालय के तर्क की गंभीरता यह है कि चूंकि ये उपकर उत्पाद शुल्क के कुल मूल्य पर लगाया और एकत्र किया जाने वाला अधिभार है, और उत्पाद शुल्क को ही छूट दी गई है, इसलिए इन उपकरों की किसी भी वसूली का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि आधार मौजूद नहीं है।इतना ही नहीं, इस न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उत्पाद शुल्क से छूट मिलने के बाद शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, जो उत्पाद शुल्क पर अधिभार के रूप में देय हैं, के संबंध में विभाग ने स्वयं स्थिति को कैसे देखा था।विभाग द्वारा जारी दिनांक **10.08.2004** के परिपत्र में भी इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है।इसलिए, उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलार्थी शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।**[**पारस **12,13** और **24] [146-**जी**; 158-**ए**]3.** विवाद की वास्तविक हड्डी जो विचार के लिए बनी हुई है, वह है एन. सी. सी. डी.। इसका कारण यह है कि जहां ऊपर चर्चा किए गए दो उपकर देय उत्पाद शुल्क पर शुल्क लगाने की प्रकृति के थे, वहीं एन. सी. सी. डी. वित्त अधिनियम, **2001** की धारा **136** के अनुसार उत्पाद पर ही लगाया जाता है।यह वह पहलू है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विभाग द्वारा इस न्यायालय को अन्य दो उपकरों के लिए लिए गए एक से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए राजी करने के लिए प्रचार किया गया था।**[**पैरा **16] [149-**ए-बी**]** ए

/

/

/

/

/

/

/

141

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स।

4. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में न्यायिक निर्णय की उचित सराहना पर, यह न्यायालय एन. सी. सी. डी. के मुद्दे पर विचार करते हुए भी शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के लिए लिए गए निर्णय से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं है। **[**पैरा **21] [150**-सी**]**

5. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को अपनी प्रमुखता दी। तर्क यह है कि सरकार को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए राजस्व प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत अधिभार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक विशेष प्रकार के शुल्क की प्रकृति में देय के रूप में अधिसूचित किया गया है।एन. सी. सी. डी. के मामले में, यह उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है।इसका चरित्र उन संबंधित करों के समान होना चाहिए जिन पर अधिभार लगाया जाता है।एन. सी. सी. डी. एक उत्पाद शुल्क नहीं रहेगा, लेकिन उत्पाद शुल्क के समान है, भले ही यह उत्पाद पर लगाया गया हो।इस प्रकार, जब एन. सी. सी. डी., संग्रह के समय, उत्पाद पर शुल्क का चरित्र लेता है, तो इसके पीछे जो भी तर्क हो, यह संग्रह के तरीके से उस पर लागू उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ शुल्क का निर्वहन करने के लिए करदाता के दायित्व के अधीन भी है।एक बार उत्पाद शुल्क से छूट मिलने के बाद, उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला एन. सी. सी. डी. एक अलग चरित्र नहीं ले सकता है और इस प्रकार, छूट अधिसूचना का लाभ पाने का हकदार होगा।छूट अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छूट "उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क" से है।" इस प्रकार, अपीलार्थी एन. सी. सी. डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। **[**पारस **22,23] [150**-डी-जी**]**

/

/

/

/

/

एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनामकेंद्रीय आयुक्त

आबकारी, गुवाहाटी (2018) 1 एस. सी. सी. 105:[2017] 11 एस. सी. आर. 43-पर निर्भर।

बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड बनाम.भारत संघ **(2007)** एससीसी

ऑनलाइन राज **365**-स्वीकृत।

/

नोवोपैन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम सी. सी. ई. और सीमा शुल्क,

हैदराबाद (1994) 3 पूरक।एससीसी 606:[1994] 3 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 549;** भारत संघ बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड।

(1990) 4 एससीसी **256:[1990] 2** एस**.** सी**.** आर**. 659**-संदर्भित।

/

142 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 5 एस. सी. आर.

/

संदर्भित निर्णय

[2017] 11 एस**.** सी**.** आर**. 43** पैरा **12 [1994] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 549** पैरा **19 [1990] 2** एस**.** सी**.** आर**. 659** पैरा **20** को संदर्भित

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.3239

2019.

2014 की विशेष अपील संख्या 625 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 16.03.2017 के निर्णय और आदेश से।

/

मुकुल रोहतगी, अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अर्शक हिदायतुल्ला, महेश अग्रवाल, अंकुल सहगल, मकरंद जोशी, दिव्यांग चंडीरामानी, ई. सी. अग्रवाल अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाशीष भारुका, सुश्री निशा बागची, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे. 1.अनुमति दी गई।

2. अपील राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (संक्षेप में 'एन. सी. सी. डी.'), शिक्षा उपकर और एक विनिर्माण प्रतिष्ठान के माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के प्रति दायित्व का कानूनी प्रश्न उठाती है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद '1944 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संक्षेप में 'सेनवैट') के भुगतान से छूट दी गई है।

/

/

3. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष उपाय किए जाने को उचित माना गया।मार्च, 2002 में भारत के प्रधान मंत्री की उत्तराखंड यात्रा पर एक घोषणा की गई थी कि उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रियायतों पर काम किया जाएगा।इस तरह के प्रोत्साहनों के लिए पात्र उद्योगों को स्थानीय रोजगार सृजन और स्थानीय संसाधनों के उपयोग की क्षमता के साथ पर्यावरण के अनुकूल होना था।इसके बाद, एक ए

/

/

143

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

उत्तरांचल राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए 7.1.2003 पर कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।" पैरा 3.1 (I) राजकोषीय प्रोत्साहनों को निर्धारित करता है।पूर्ण अनुच्छेद को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैः

/

" 3.1:नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर राजकोषीय प्रोत्साहनः

(आई)।विकास केंद्रों, औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्रों (आई. आई. डी. सी.), औद्योगिक संपदाओं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, थीम पार्कों (खाद्य प्रसंस्करण पार्क, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, आदि) में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुलग्नक-I और अन्य क्षेत्रों में परिभाषित किए गए अपने पर्याप्त विस्तार पर, निम्नलिखित के हकदार हैंः

/

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए एकमुश्त उत्पाद शुल्क में छूट (सौ प्रतिशत)।

/

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए और उसके बाद कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत और कंपनियों के अलावा अन्य के लिए 25 प्रतिशत आयकर छूट। "

/

(जोर दिया गया) 4.उपरोक्त नीतिगत पहल को लागू करने के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीईसी') ने 1944 के अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जून, 2003 को अधिसूचना No.50/2003-Central उत्पाद शुल्क जारी किया। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

/

“सामान्य अपवाद सं। 41.

/

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्र या निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक संपदा या योजना क्षेत्र में स्थित इकाइयों से निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को छूट।—में।

/

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित अंतर्गत आवश्यक है, इसके लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी जाती है।(जोर दिया गया) 5.एक बार फिर, प्रश्न विवाद के लिए,

छूट अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए अधिसूचना को आगे संदर्भित करना आवश्यक नहीं है, जो पूरी करने के लिए अन्य शर्तों को निर्धारित करता है, क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी उन शर्तों को पूरा करता है।

/

/

/

/

6. अपीलार्थी, एक सीमित कंपनी, ने वर्ष 2007 में दो पहिया वाहनों की एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की।अपीलार्थी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अपने निर्मित उत्पादों के आधार पर सेनवैट से छूट दी गई थी।

/

7. अपीलार्थी जाहिरा तौर पर वाहन उपकर का भुगतान कर रहा था, लेकिन एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं किया जा रहा था। 27/28.2.2009 पर किए गए ऑडिट के कारण विवाद उत्पन्न हुआ।यह विवाद उपरोक्त निर्दिष्ट तीन अवैतनिक उपकरों का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के दायित्व से संबंधित है।

/

8. अब प्रश्न तीन उपकरों की ओर मुड़ते हुए, एन. सी. सी. डी. को 1944 के अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य उत्पाद शुल्क के किसी भी अन्य शुल्क के अलावा, उत्पाद शुल्क की प्रकृति में, वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अंतर्गत लगाया गया था। संबंधित भाग निम्नलिखित रूप में निकाला गया हैः

/

145

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

/

“ धारा 136-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क

(1) सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में, जो निर्मित या उत्पादित वस्तुएं हैं, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा, उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (जिसे इसके बाद राष्ट्रीय आपदा शुल्क के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कहा जाएगा।

/

(2) सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रभार्य राष्ट्रीय आपदा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क के किसी भी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

/

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, जिनमें शुल्क से वापसी और छूट और जुर्माना लगाने से संबंधित नियम शामिल हैं, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में इस धारा के अंतर्गत देय राष्ट्रीय आपदा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में, जहां तक हो सके, लागू होंगे, जैसा कि वे उस अधिनियम या उन नियमों के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं। "

/

(जोर दिया गया) 9.वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 और 93 ने शिक्षा उपकर को उत्पाद शुल्क के रूप में पेश किया, जिसकी गणना उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों के कुल मिलाकर की जाती है। 2007 के वित्त अधिनियम की धारा 136 और 138 ने इसी तरह माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को शिक्षा उपकर के समान ही लागू किया।

/

/

10. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के कारण, उपरोक्त तीन उपकरों का भुगतान करने में अपीलार्थी की विफलता के कारण एक लेखापरीक्षा आपत्ति रिपोर्ट तैयार की गई थी, और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर अधीक्षक (लेखापरीक्षा), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ-II द्वारा दिनांकित 27.2.2009 पत्र के माध्यम से प्रश्न उठाए गए थे।अपीलार्थी द्वारा इनका जवाब दिया गया।इसके बाद 26.8.2011 दिनांकित एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया।यह ध्यान देने योग्य है कि कारण दर्शाओ नोटिस के संदर्भ में, उपकर की मांग इस तथ्य के कारण की जा रही थी कि उन्हें विशेष रूप से छूट नहीं दी गई थी, भले ही वे उत्पाद शुल्क की प्रकृति में शुल्क थे, चाहे उत्पाद (एनसीसीडी) पर देय हो या देय उत्पाद शुल्क की राशि (शिक्षा उपकर और माध्यमिक) पर।

/

/

& उच्च शिक्षा उपकर)।विभाग ने एक कानूनी रुख अपनाया कि छूट अधिसूचना का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और तथ्यों का जानबूझकर दमन किया गया था।उठाई गई मांग को भी निर्दिष्ट किया गया था।

11. अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष 13.10.2011 पर एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कारण बताओ नोटिस का आरोप लगाया गया।हालाँकि, यह प्रयास सफल नहीं हुआ और रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, दिनांक 9.10.2014 के आदेश के अनुसार।डिवीजन बेंच के समक्ष दायर अपील का भी वही परिणाम हुआ, दिनांक 16.3.2017 के आक्षेपित आदेश के अनुसार।12. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स में बाद में न्यायिक निर्णय के कारण हमारे सामने विवाद अब एक संकीर्ण स्थिति में है।

/

/

प्रा. लि. बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी **1.**मुद्दा यह है

शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, हमारे विचार में, इस निर्णय को देखते हुए विभाग के खिलाफ है और इस तरह, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग अब हमारे सामने रखे गए लिखित सारांश को देखते हुए समझ गया है।

/

13. उस मामले के तथ्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में उद्योगों के विकास के लिए एक पहल की गई थी। उन राज्यों के संबंध में वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना जारी की गई थी।2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों के अंतर्गत लागू शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी उसमें अपीलार्थी पर लगाए जाने की मांग की गई थी।इस न्यायालय के तर्क की गंभीरता यह है कि चूंकि ये उपकर उत्पाद शुल्क के कुल मूल्य पर लगाया और एकत्र किया जाने वाला अधिभार है, और उत्पाद शुल्क को ही छूट दी गई है, इसलिए इन उपकरों की किसी भी वसूली का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि आधार मौजूद नहीं है।इतना ही नहीं, इस न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उत्पाद शुल्क से छूट मिलने के बाद शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, जो उत्पाद शुल्क पर अधिभार के रूप में देय हैं, के संबंध में विभाग ने स्वयं स्थिति को कैसे देखा था।विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.8.2004 के परिपत्र में इस संबंध में स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

/

/

/

“मुद्दा (2):क्या ऐसी वस्तुएँ जिन्हें उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है या जिन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी गई है /

1 (2018) 1 एससीसी 105 ए

/

147

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

सीमा शुल्क (जैसे बांड के अंतर्गत निकासी या कुछ शर्तों को पूरा करना) उपकर के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण:शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क (डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क आदि जैसे सीमा शुल्क के कुछ शुल्कों को छोड़कर) के सभी शुल्कों के कुल दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।), लगाया और एकत्र किया गया।यदि माल को उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है, शून्य शुल्क के लिए प्रभार्य हैं या बांड के अंतर्गत निकासी जैसी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दी जाती है, तो शुल्क का कोई संग्रह नहीं होता है।इस प्रकार, ऐसी मंजूरी पर कोई शिक्षा उपकर नहीं लगाया जाएगा।इस संबंध में सदस्य (सीमा शुल्क) द्वारा जारी डी. ओ. सं. 605/54/2004-डी. बी. के., दिनांक 21-7-2004 पत्र का भी उल्लेख किया जा सकता है। "

/

/

(जोर दिया गया) 14.इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में यह टिप्पणी की:

“22. अन्यथा भी, हमारी राय है कि उपरोक्त स्थिति को स्वीकार करना अधिक तर्कसंगत है जैसा कि वित्त मंत्रालय ने उपरोक्त परिपत्रों में स्पष्ट किया है।शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क पर है।इसका मतलब है कि जिन कर निर्धारकों को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, उन्हें शिक्षा उपकर भी देना पड़ता है।यह शिक्षा उपकर वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 की धारा 91 से 93 द्वारा लागू किया गया है।इसकी धारा 91 के अनुसार, शिक्षा उपकर वह अधिभार है जिसका भुगतान निर्धारिती को करना होता है।धारा 93 यह स्पष्ट करती है कि यह शिक्षा उपकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में "उत्पाद शुल्क" पर देय है। इसके अलावा, यह शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाना है और इसकी गणना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए उत्पाद शुल्कों के कुल पर की जानी है। धारा 93 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान, जिनमें धनवापसी और शुल्क आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जहां तक लागू हो सके, उत्पाद शुल्क पर शिक्षा उपकर लगाने और संग्रह करने के संबंध

में लागू होंगे।इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अतिरिक्त शुल्क के रूप में शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।

/

/

/

/

/

148

/

[2019] 5 एस सी आर।

अधिनियम के अंतर्गत देय। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है, जैसा कि इसे छूट दी गई है, तो कोई शिक्षा उपकर भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा उपकर @2 प्रतिशत की गणना उत्पाद शुल्क के कुल पर की जानी है।जब मूल शुल्क शून्य हो तो कोई अधिभार नहीं लगाया जा सकता है।" (जोर दिया गया) 15.राजस्थान के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।

/

उच्च न्यायालय **,** बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड बनाम**.**भारत संघ **2,** जहाँ यह है

निम्नलिखित रूप में देखा गया:"15. यह तथ्य कि अधिभार तीन अलग-अलग अधिनियमों के अंतर्गत शुल्क के हिस्से के रूप में एकत्र किया जाता है, यह दर्शाता है कि शिक्षा उपकर लगाने की योजना केंद्र के उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाने वाले अधिभार के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर का बोझ बढ़ाकर बुनियादी शिक्षा की सार्वभौमिक गुणवत्ता प्रदान करने और वित्तपोषण करने के लिए सरकारी परियोजना के उद्देश्य के लिए विशेष धन एकत्र करने के माध्यम से थी।लेकिन, यह स्पष्ट किया गया कि तीनों करों के संबंध में, कर के साथ एकत्र अधिभार संबंधित करों का वही चरित्र वहन करेगा जिसमें अधिभार जोड़ा गया था और संबंधित अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना था जिसके अंतर्गत अधिभार के रूप में शिक्षा उपकर लगाया और एकत्र किया जाता है।

/

/

/

16. जाहिरा तौर पर, जब संग्रह के समय अधिभार मूल शुल्क के रूप में लिया जाता है, जो भी इसके पीछे का उद्देश्य हो, तो यह उसके निर्वहन के संबंध में करदाता के समान दायित्व को एकत्र करने के तरीके से लागू उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रावधान के साथ-साथ ऐसे शुल्कों के साथ संलग्न छूट के रूप में छूट रियायत के अधीन हो जाता है।इस पहलू को धारा 93 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट किया गया है। "

/

(जोर दिया गया) इस न्यायालय ने एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्रा. लि. में निर्णय के पैरा 24 में राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को अपनी प्रमुखता दी।

/

लिमिटेड **3**

2 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 365::(2007) 216 ई. एल. टी. 16 3 (ऊपर)

/

149

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

/

16. विवाद की वास्तविक हड्डी जो विचार के लिए बनी हुई है, वह है एन. सी. सी. डी.। इसका कारण यह है कि जहां ऊपर चर्चा किए गए दो उपकर देय उत्पाद शुल्क पर शुल्क लगाने की प्रकृति के थे, वहीं एन. सी. सी. डी. वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अनुसार उत्पाद पर ही लगाया जाता है।यह वह पहलू है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विभाग द्वारा इस न्यायालय को अन्य दो उपकरों के लिए लिए गए एक से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए राजी करने के लिए प्रचार किया गया था।

/

17. अपीलार्थी की ओर से, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हमें अन्य दो उपकरों के समान सिद्धांतों को एन. सी. सी. डी. के तहत लागू करने के लिए मनाने की कोशिश की और इस प्रकार, साथ चलते रहे।

एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में लिए गए दृष्टिकोण के साथ**, 4** एन. सी. सी. डी. के रूप में भी

/

चिंतित हैं।18. दूसरी ओर, विभाग की ओर से, सुश्री निशा बागची, अधिवक्ता ने घटना की प्रकृति में अंतर को इंगित करने की मांग करते हुए अन्यथा तर्क देना चाहा, क्योंकि एन. सी. सी. डी. की गणना उत्पाद के मूल्य पर की जानी थी, न कि देय उत्पाद शुल्क के मूल्य पर।

/

19. हम ध्यान दे सकते हैं कि आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में, एक सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से उभरता है, और जिस पर हमारे सामने कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि छूट अधिसूचनाओं को, प्रश्न अधिसूचना की तरह, इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जिससे उन्हें एक उदार व्याख्या मिले, बशर्ते कि नियोजित भाषा के साथ कोई हिंसा न की जाए।के लिए तर्क

/

नोवोपन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम सी. सी. ई. में भी यही बात स्पष्ट की गई है।

और सीमा शुल्क, हैदराबाद, 5 अन्य न्यायिक घोषणाओं के अलावा।ऐसे मामलों में, ऐसा नहीं है कि कर विधि की सख्त व्याख्या के सिद्धांत को पूरी तरह से मंजूरी दी गई है, लेकिन व्याख्या का वह नियम एक अलग स्तर पर लागू होगा, यानी यह निर्धारित करने के लिए कि छूट निर्धारिती पर लागू होती है या नहीं।एक बार जब ऐसी छूट वास्तव में प्रश्न निर्धारिती पर लागू होती है, तो न्यायालय द्वारा भाषा का अर्थ लगाने में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए (भारत संघ बनाम.

/

वुड पेपर्स लिमिटेड **6)**।

/

20. हम देख सकते हैं कि आक्षेपित क्रम में निहित प्राथमिक तर्क तीन उपकरों, यानी एन. सी. सी. डी.; शिक्षा के लिए सामान्य है।

4 (ऊपर)

5 1994 पूरक (3) एससीसी 606 6 (1990) 4 एससीसी 256

/

उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर।ये अन्य अधिनियमों में लगाए गए अधिभारों की प्रकृति में थे, जिन्हें प्रश्न अधिसूचना के अंतर्गत विशिष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है।एस. आर.

डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय के कारण यह तर्क प्रबल नहीं है। 7 इस प्रकार, प्रश्न यह है कि क्या, भले ही एन. सी. सी. डी. उत्पाद शुल्क की प्रकृति का है, लेकिन उत्पाद शुल्क के मूल्य के बजाय उत्पाद पर इसकी घटना होने से उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त इकाइयों पर एन. सी. सी. डी. के लागू होने पर कोई फर्क पड़ेगा।

/

21. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में न्यायिक घोषणा की उचित सराहना पर, 8 हम एन. सी. सी. डी. के मुद्दे पर विचार करते हुए भी शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के लिए लिए गए निर्णय से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

/

22. हम देख सकते हैं कि यह न्यायालय , एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्रा. लि. में। लिमिटेड 9 ने बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को अपनी प्रमुखता दी। 10 इसका कारण यह है कि सरकार को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए राजस्व प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत अधिभार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक विशेष प्रकार के शुल्क की प्रकृति में देय के रूप में अधिसूचित किया गया है।एन. सी. सी. डी. के मामले में, यह उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है।इसका चरित्र उन संबंधित करों के समान होना चाहिए जिन पर अधिभार लगाया जाता है।एन. सी. सी. डी. एक उत्पाद शुल्क नहीं रहेगा, लेकिन उत्पाद शुल्क के समान है, भले ही यह उत्पाद पर लगाया गया हो।इस प्रकार, जब एन. सी. सी. डी., संग्रह के समय, उत्पाद पर शुल्क का चरित्र लेता है, तो इसके पीछे जो भी तर्क हो, यह संग्रह के तरीके से उस पर लागू उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ शुल्क का निर्वहन करने के लिए करदाता के दायित्व के अधीन भी है।एक बार उत्पाद शुल्क से छूट मिलने के बाद, उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला एन. सी. सी. डी. एक अलग चरित्र नहीं ले सकता है और इस प्रकार, छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार होगा।छूट अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छूट "उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क" से है।" हम यह भी नोट कर सकते हैं कि छूट स्वयं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस साल की अवधि के लिए है।

/

/

/

/

23. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपीलार्थी एन. सी. सी. डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7 (ऊपर) 8 (ऊपर) 9 (ऊपर) 10 (ऊपर)

/

बाज ऑटो लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

/

24. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि आक्षेपित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और 26.8.2011 दिनांकित कारणदर्शक नोटिस को रद्द कर दिया जाता है, जबकि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

25. अपील की अनुज्ञात है, पक्षकारों को अपना खर्च उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है लागतें।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/